प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)

(मध्य प्रदेश राज्य)

प्रधानमंत्री कृषि सिचांई योजना (PMKSY) के अंतर्गत ऑनलाइन अनुदान हेतु सम्पूर्ण डाटा फ्लो डायग्राम |

प्रारंभ

(पंजीयन हेतु प्रक्रिया)

कृषक द्वारा पोर्टल से **eKYC** बायोमैट्रिक/ OTP के माध्यम से सत्यापन उपरांत पंजीयन

(योजना में आवेदन हेतु प्रक्रिया)

- कृषक द्वारा स्वयं को प्रदाय लॉग इन पैनल से लॉग इन |
- कृषक द्वारा योजना एवं घटक का चयन |
- कृषक द्वारा लाभ के रकबे की प्रविष्टी |
- कृषक द्वारा लेटरल का चयन |
- कृषक द्वारा वेंडर का चयन |
- कृषक द्वारा शपथ पत्र एवं अनुबंध पत्र का सत्यापन |
- OTP के माध्यम से हितग्राही का सत्यापन |
- सुरक्षित करें |

क्या आवेदक संबंधित योजना सामग्री में 5 हेक्टेयर तक का लाभ विगत 7 वर्षों में ले चुका है ?

यदि हाँ

संबंधित योजना का लाभ सात वर्षो के पश्चात् ले पायेगा |

यदि नहीं

आवेदन सफलता पूर्वक स्वीकार लिया गया है |

(दस्तावेज सत्यापन)

वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी (SHDO) द्वारा दस्तावेज सत्यापन **(आवेदन दिनांक से 7 दिवस के अन्दर सत्यापन किया जाना आवश्यक है |)**

क्या दस्तावेज सत्यापन के समय दस्तावेज गलत , अपूर्ण या अपठनीय हैं ?

हाँ

विकासखण्ड स्तर से वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी (SHDO)द्वारा दस्तावेज अस्वीकृत किया जायेगा **(कारण सहित)**|

नहीं

(दस्तावेज अनुमोदन)

उप/ सहायक संचालक उद्यानिकी द्वारा दस्तावेज अनुमोदन

नोट- दस्तावेज अनुमोदन , विकासखण्ड स्तर से दस्तावेज सत्यापन से 7 दिवस के अन्दर किया जाना आवश्यक है

जिला स्तर से अनुमोदन उपरांत निर्धारित 15 दिवस के अन्दर कृषक द्वारा कृषक अंश राशि सम्बंधित कंपनी के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है | कृषक अंश राशि का विवरण कंपनी द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा |

नहीं

कृषक का आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा |

हाँ

(कार्य आदेश जारी)

1. उप/सहायक संचालक स्तर से एम.पी.स्टेट.एग्रो. के पक्ष में कार्य आदेश जारी |
2. जिला प्रबंधक एम.पी.स्टेट.एग्रो. के माध्यम से वेंडर के पक्ष में कार्य आदेश जारी |

(कार्य प्रारंभ)

कार्य आदेश जारी होने के उपरांत कार्य प्रारंभ की सूचना वेंडर पैनल से वेंडर द्वारा दी जाएगी |

(कार्य समाप्त) एवं Geo Tagging

1. जिला प्रबंधक के माध्यम से कार्य आदेश जारी होने की दिनांक से 45 दिनों के अन्दर कार्य समाप्ति की सूचना वेंडर द्वारा पोर्टल (**प्रदाय लॉग इन**) के माध्यम से दी जाएगी; अन्यथा कार्य आदेश स्वतः निरस्त हो जाएगा |
2. Geo Tagging की प्रक्रिया वेंडर के माध्यम से की जाएगी | एवं जिन प्रकरणों की Geo Tagging हो चुकी होगी केवल वे ही प्रकरण भौतिक सत्यापन की जानकारी प्रविष्ट करते समय विकासखंड स्तर पर पोर्टल में दिखाई देंगे |
3. Geo Tagging कंपनी द्वारा किसान मोबाइल एप के माध्यम से की जायेगी |
4. कंपनी द्वारा कृषक अंश प्राप्ति का क्रेडिट-नोट/ क्रेडिट कन्फर्मेशन MP AGRO जिला कार्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा |

(देयक जारी)

1. वेंडर द्वारा एम.पी.स्टेट.एग्रो. के पक्ष में अनुदान भुगतान हेतु देयक जारी किया जाना |
2. एम.पी.स्टेट.एग्रो. द्वारा उद्यानिकी विभाग के पक्ष में अनुदान भुगतान हेतु देयक जारी किया जाना |

(भौतिक सत्यापन)

1. वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी (SHDO) द्वारा भौतिक सत्यापन मोबाइल एप (इन्फ्रामैपिंग) के माध्यम से किया जाना |
2. वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी (SHDO) द्वारा मोबाइल एप (इन्फ्रामैपिंग) से की गई भौतिक सत्यापन की जानकारी MPFSTS पोर्टल पर कार्य पूर्ण की दिनांक से 15 दिनों के अन्दर प्रविष्ट किया जाना एवं फिल्ड स्तर पर लगाई गई सामग्री का फोटो ग्राफ अपलोड किया जाना आवश्यक है |
3. वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी (SHDO) के माध्यम से एम.पी.स्टेट.एग्रो. द्वारा अपलोड किये गए देयक की पुष्टि एवं भौतिक सत्यापन |

(देयक जारी)

उप/सहायक संचालक उद्यानिकी द्वारा एम.पी.स्टेट.एग्रो. को अनुदान भुगतान हेतु ट्रेजरी के पक्ष में देयक जारी किया जाना |

(भुगतान)

1. एम.पी.स्टेट.एग्रो. के पक्ष में अनुदान का भुगतान ट्रेजरी स्तर से किया जाना |
2. जिला प्रबंधक एम.पी.स्टेट.एग्रो. द्वारा वेंडर को अनुदान का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से किया जाना |
3. उक्त्त बिंदु क्रमांक 1 एवं 2 की जानकारी पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक है |

समाप्त

संरक्षित खेती

पॉली हाउस एवं

शेडनेट हाउस

(मध्य प्रदेश राज्य)

संरक्षित खेती योजना के अंतर्गत पॉली हाउस एवं शेडनेट हाउस घटक अंतर्गत ऑनलाइन अनुदान हेतु सम्पूर्ण डाटा फ्लो डायग्राम |

प्रारंभ

↓

(पंजीयन हेतु प्रक्रिया)

कृषक द्वारा पोर्टल से eKYC बायोमैट्रिक/ OTP के माध्यम से सत्यापन उपरांत पंजीयन

↓

(योजना में आवेदन हेतु प्रक्रिया)

- कृषक द्वारा स्वयं को प्रदाय लॉग इन पैनल से लॉग इन |
- कृषक द्वारा योजना एवं घटक का चयन |
- कृषक द्वारा लाभ के रकबे की प्रविष्टी |
- कृषक द्वारा वेंडर का चयन |
- कृषक द्वारा कृषक अंश भुगतान की पावती/ प्रति अपलोड |
- सुरक्षित करें |

↓

क्या आवेदक संबंधित योजना सामग्री में लाभ ले चुका है ?

यदि हाँ → संबंधित योजना का लाभ पुनः नहीं ले पायेगा |

↓

यदि नहीं

आवेदन सफलता पूर्वक स्वीकार लिया गया है |

(दस्तावेज सत्यापन)

वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी (SHDO) द्वारा दस्तावेज सत्यापन **(आवेदन दिनांक से 7 दिवस के अन्दर सत्यापन किया जाना आवश्यक है |)**

क्या दस्तावेज सत्यापन के समय दस्तावेज गलत , अपूर्ण या अपठनीय पाए गए ?

हाँ

विकासखण्ड स्तर से वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी (SHDO) द्वारा दस्तावेज अस्वीकृत किया जायेगा **(कारण सहित)**|

नहीं

(दस्तावेज अनुमोदन)

उप/ सहायक संचालक उद्यानिकी द्वारा दस्तावेज अनुमोदन

(दस्तावेज अनुमोदन , विकासखण्ड स्तर से दस्तावेज सत्यापन से 7 दिवस के अन्दर किया जाना आवश्यक है)

जिला स्तर से अनुमोदन उपरांत कृषक द्वारा कृषक अंश राशि सम्बंधित जिला प्रबंधक के जिला कार्यालय में स्थानांतरित कर, कृषक अंश राशि का विवरण जिला प्रबंधक द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा |

(कार्य आदेश जारी)

1. उप/सहायक संचालक स्तर से एम.पी.स्टेट.एग्रो. के पक्ष में कार्यादेश जारी |
2. जिला प्रबंधक एम.पी.स्टेट.एग्रो. के माध्यम से वेंडर के पक्ष में कार्यादेश जारी |

(कार्य प्रारंभ)

कार्य आदेश जारी होने के उपरांत कार्य प्रारंभ की सुचना वेंडर पैनल से दी जाएगी |

(कार्य समाप्त)

1. जिला प्रबंधक के माध्यम से कार्य आदेश जारी होने की दिनांक से **60** दिनों के अन्दर कार्य समाप्ति की सूचना वेंडर द्वारा पोर्टल (**प्रदाय लॉग इन**) के माध्यम से दी जाएगी; अन्यथा कार्य आदेश स्वतः निरस्त हो जाएगा |

(देयक जारी)

1. वेंडर द्वारा एम.पी.स्टेट.एग्रो. के पक्ष में अनुदान भुगतान हेतु देयक जारी किया जाना |
2. एम.पी.स्टेट.एग्रो. द्वारा उद्यानिकी विभाग के पक्ष में अनुदान भुगतान हेतु देयक जारी किया जाना |

(भौतिक सत्यापन)

1. वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी (SHDO) द्वारा भौतिक सत्यापन मोबाइल एप (इन्फ्रामैपिंग) के माध्यम से किया जाना |
2. वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी (SHDO) द्वारा मोबाइल एप (इन्फ्रामैपिंग) से की गई भौतिक सत्यापन की जानकारी MPFSTS पोर्टल पर कार्य पूर्ण की दिनांक से 15 दिनों के अन्दर प्रविष्ट किया जाना एवं फिल्ड स्तर पर लगाई गई सामग्री का फोटो ग्राफ अपलोड किया जाना आवश्यक है |
3. वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी (SHDO) के माध्यम से एम.पी.स्टेट.एग्रो. द्वारा अपलोड किये गए देयक की पुष्टि एवं भौतिक सत्यापन |

(देयक जारी)

उप/सहायक संचालक उद्यानिकी द्वारा एम.पी.स्टेट.एग्रो. को अनुदान भुगतान हेतु ट्रेजरी के पक्ष में देयक जारी किया जाना |

(भुगतान)

1. एम.पी.स्टेट.एग्रो. के पक्ष में अनुदान का भुगतान ट्रेजरी स्तर से किया जाना |
2. जिला प्रबंधक एम.पी.स्टेट.एग्रो. द्वारा वेंडर को अनुदान का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से किया जाना |
3. उक्त बिंदु क्रमांक 1 एवं 2 की जानकारी पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक है |

समाप्त